संख्या- 2350 /1-2-2009-रा-2

प्रेषक,
गोविन्दन नायर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 07 सितम्बर, 2009

राजस्व अनुभाग-2

विषय: गांव सभा में निहित ताल, पोखरों, मीनाशयों एवं जल प्रणालियों का प्रबन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ताल, पोखरों, मीनाशयों के पट्टे बिचौलियों एवं असामाजिक
तत्वों के पक्ष में न हो तथा मत्स्य पालन का सम्यक लाभ मछुआ समुदाय एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों
को प्राप्त हो, को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-126(1) के साथ पठित
उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम-115-क(3) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 भूमि
प्रबन्धक समिति नियम संग्रह में शासनादेश संख्या-3736/1-2/95-रा-2, दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 द्वारा संशोधन किये गये
थे। उपर्युक्त शासनादेश में मछुआ समुदाय को वरीयता क्रम में क्रमांक-1 पर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम सभा में
निहित ताल, पोखरों, मीनाशयों के प्रबन्धन/मत्स्य पालन कार्य के निमित्त माहीगीर जाति को भी मछुआ समुदाय के अन्तर्गत पूर्व
में सम्मिलित किया गया था किन्तु कालांतर में माहीगीर जाति को मछुआ समुदाय से अलग कर देने के फलस्वरूप मुस्लिम
माहीगीर संगठन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या-2099/2008, मुस्लिम माहीगीर संगठन बनाम उ0प्र0
सरकार व अन्य योजित की गयी। उपर्युक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मछुआ समुदाय के अन्तर्गत माहीगीर
जाति को भी सम्मिलित करने हेतु विचार कर निर्णय लिये जाने के संबंध में दिनांक 12.09.2008 को आदेश पारित किये गये।
तद्नुसार मामले में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय गांव सभा में निहित ताल, पोखरों, मीनाशयों आदि के प्रबन्धन एवं
मत्स्य पालन कार्य के लिए उपर्युक्त अधिनियम/नियमावली में किये गये प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में उक्त नियम-संग्रह में संशोधन
करते हुए माहीगीर जाति को भी मछुआ समुदाय के अन्तर्गत वरीयता क्रम में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-3736/1-2/95-रा-2, दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 तत्सीमा तक संशोधित समझा जायेगा
एवं उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें एवं व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2350 (1)/1-2-2009-रा-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- मत्स्य निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
4- पशुधन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- पंचायती राज अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6- सिंचाई अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- राजस्व सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8- श्री मोहम्मद अली, अध्यक्ष, मुस्लिम माहीगीर/धीवर समाज, नि0 मोहल्ला-काहरान, मण्डी बाजार, धामपुर, जिला-बिजनौर।

आज्ञा से,
(देवराज)
अनु सचिव।